



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

एकस्व कार्यालय / THE PATENT OFFICE बौद्धिक सम्पदा भवन/I.P.O. BUILDING जी.एस.टी.रोड, गिंडी/ G.S.T.Road, Guindy, चेन्नई/ Chennai- 600032

दूरभाष/ Tel. No. : (091)(044)22502081-84

फ़ैक्स / Fax: 044 22502066

Email/ई मेल : Chennai-patent@nic.in वेबसाइट /Website: http://ipindia.nic.in

दिनांक \ Dated the 23/11/2021

सेवा मे, \ To :

ਚਂ. \ No. 2425/CHE/2013

Address of Service: - M/S. INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RSEARCH DIRECTOR, CENTRAL PLANTATION CROPS RESEARCH INSTITUTE, KASARAGOD, KERALA - 671 124.

Email Id:- cpcri@nic.in,balakbh64@gmail.com

विषय :- पेटेंट आवेदन संख्या 2425/CHE/2013 के संबंध मे अधिनियम की धारा 43 के तहत पेटेंट अनुदान तथा पेटेंट रजिस्टर मे प्रविष्टि की सूचना

Sub: Intimation of the grant and recordal of patent under section 43 of the Act in respect of patent application no. 2425/CHE/2013

महोदय/महोदया.

Sir/Madam.

आपको सुचित किया जाता है कि पेटेंट अधिनिय, 1970 की धारा 12 व 13 तथा उस आधार पर बने नियम के तहत उपर्युक्त पेटेंट आवेदन के परीक्षण [व 18/08/2020 को हुई सुनवाई] के उपरांत एतद्द्वारा पेटेंट अनुदान किया जाता है। तथा पेटेंट अनुदान की प्रविष्टि 23/11/2021 को पेटेंट रजिस्टर मे कर दी गयी है।

This is to Inform you that following the examination of above mentioned patent application under section 12 and 13 of The Patents Act, 1970 and Rules made thereunder [and hearing held on 18/08/2020] a patent is hereby granted and recorded in the Register of Patents on the 23/11/2021. The Patent Certificate is enclosed herewith.

 382339 पेटेंट संख्या \ Patent No

 INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH आवेदक का नाम \ Name Of Applicant

पेटेंट दिनांक \ Date of Patent 03/06/2013 पूर्विक्ता तिथि \ Priority Date 03/06/2013

परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करने की तिथि \ Filling : 03/06/2013

date of Request for examination

 A DEVICE FOR EXTRACTION OF COCONUT/PALM SAP शीर्षक \ Title

दावों की संख्या \ Number of claims 02

उपर्युक्त पेटेंट के अनुदान का प्रकाशन अधिनियम की धारा 43 के तहत पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक जर्नल मे किया जाएगा।

The grant of above mentioned patent will be published in the Official Journal of the patent Office under section 43 of the Act.

पेटेंट अधिनियम 1970 यथा संशोधित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2005/ पेटेंट नियम, 2003 यथा संशोधित पेटेंट (संशोधन) नियम, 2016 की धारा 142 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के तहत उपरोक्त प्रविष्टि की तिथि से 3 माह के भीतर इस कार्यालय मे नवीकरण शुल्क जमा किया जाना चाहिए।

The payment of renewal fee is required to be made at this office within three(3) months from the aforesaid date of recording according to the proviso in sub-section(4) of Section 142 of The Patents Act, 1970, as amended by The Patents (Amendment) Act, 2005 / The Patents Rules, 2003 as amended by The Patents (Amendment) Rules, 2016.

Dr. Shankar Dyal Bhatnagar

(नियंत्रक पेटेट)

Controller of Patents

टिप्पणी / Note :

1. संशोधित नवीकरण शुल्क हेतु कृपया महानियंत्रक पेटेंट, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न की आधिकारिक वैबसाइट www.ipindia.gov.in पर उपलब्ध पेटेंट (संशोधन) नियम 2016 की प्रथम अनुसूची (शुल्क) देखें।

For revised renewal fees kindly refer to the First Schedule (fees) of The Patents (Amendment) Rules 2016 available on the official website of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks www.ipindia.gov.in

कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रमाणपत्र की कोई भी कागजी प्रति अलग से जारी नहीं की जाएगी।

No hard copy of Patent Certificate shall be issued separately by the office.